5042

संख्या /जै0ऊ0नीति–2022/सा0/2022–23
उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
दिनाँक : 8 दिसम्बर, 2025

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा "उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा नीति–2022" घोषित की गई है, जिसमें कृषि अपशिष्ट, पशुधन अपशिष्ट, चीनी मिलों के प्रेसमड, नगर पालिका/नगर निगम के ठोस अपशिष्ट इत्यादि जैसे जैव अपशिष्टों का उपयोग कम्प्रेस्ड बायोगैस के प्लाण्टों की स्थापना के लिए यह सुविधा उन संयंत्रों हेतु अनुमन्य है, जो नीति के अन्तर्गत आवेदन करते हैं।

कुछ निवेशकों द्वारा अवगत कराया गया है कि वे बिना राज्यानुदान के सी0बी0जी0 संयंत्र की स्थापना करना चाहते हैं, परन्तु बैंक उनके प्रस्ताव पर लोन स्वीकृत नहीं कर रही है। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी किसी परियोजना की स्थापना पर राज्य सरकार द्वारा कोई रोक नहीं है तथा न ही ऐसे प्रस्तावों के सापेक्ष यूपीनेडा पोर्टल पर आवेदन करने की आवश्यकता है। बैंकों को यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन परियोजनाओं को राज्य सरकार का अनुदान नहीं चाहिए उन्हें फाइनेन्सियल क्लोजर के आधार पर लोन प्रदान कर सकते हैं। यूपीनेडा द्वारा ऐसी परियोजनाओं को जैव ऊर्जा नीति–2022 के अन्तर्गत सहयोग प्रदान किया जाएगा।

/

(पंकज सिंह)
सचिव एवं मुख्य परियोजना अधिकारी,
यूपीनेडा।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. मुख्य प्रबन्धक एवं संयोजक, एस0एल0बी0सी0।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5. निदेशक, यूपीनेडा।
6. आई0टी0 मैनेजर, यूपीनेडा।

08/12/25

(पंकज सिंह)
सचिव एवं मुख्य परियोजना अधिकारी,
यूपीनेडा।